

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4379

जिसका उत्तर मंगलवार, 21 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है।

हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक कारों पर राजसहायता

4379. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार ग्रीन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कारों पर राजसहायता देने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)**

(क): जी, हां। इस विभाग द्वारा भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण हेतु स्कीम-फेम इंडिया 1 अप्रैल, 2015 से 2 वर्षों के पहले चरण के लिए प्रारंभ की गई है। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड वाहनों (पर्यावरण अनुकूल वाहनों) के क्रेताओं को अग्रिम कटौती किए गए क्रयमूल्य के रूप में प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

(ख): इस स्कीम के तहत, अग्रिम कटौती किए गए क्रयमूल्य के रूप में मांग प्रोत्साहन दिया गया है, ताकि इन वाहनों को तेजी से अपनाया जा सके। सभी प्रकार के वाहन जैसे दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया, हल्के वाणिज्यिक वाहन, बसें और रिट्रो फिटमेंट वाहन भी इस स्कीम में शामिल किए गए हैं। प्रारंभ में, यह स्कीम चयनित शहरों में 1 अप्रैल, 2015 से 2 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम का ब्यौरा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 25 मार्च, 2015 में अधिसूचित स्कीम दिशा-निर्देशों में दिया गया है और यह ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारी उद्योग विभाग ने इस स्कीम को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इस स्कीम का लाभ उठाने हेतु पात्र बनने के लिए इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के तहत वाहन परीक्षण हेतु वाहन परीक्षण केन्द्रों को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वाहनों की बिक्री के समय ओईएम और डीलरों द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया हेतु प्रचालन दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।
